(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1206–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–6–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 324/08–09/अपील.

1– महेन्द्र सिंह पुत्र कन्हैयाराम
2– बाबूलाल पुत्र कन्हैयाराम
निवासीगण ग्राम खजूरी
तहसील आरोन जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजेन्द्र सिंह पुत्र बलवंत सिंह
2– जितेन्द्र सिंह पुत्र बलवंत सिंह
निवासीगण ग्राम खजूरी
तहसील आरोन जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम.पी. भटनागर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/11 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण तथ्य सक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक राजेन्द्र सिंह द्वारा तहसीलदार परगना आरोन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खजूरी स्थित सर्वे कमांक 92/2 रकबा 1.777 हेक्टेयर उसका तथा सर्वे कमांक 92/3 रकबा 1.776 हेक्टेयर उसके भाई के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियां हैं । उक्त भूमियों का सीमांकन किये जाने पर आवेदकगण का कब्जा होना पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–70/07–08 दर्ज कर दिनांक 10–10–08 को आदेश पारित कर कब्जा दिलाये जाने हेतु पटवारी को निर्देश दिये

गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, आरोन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–4–09 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि वह संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए भूमि का कब्जा दिलाया जाना सुनिश्चित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–6–2011 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गईहै ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जे को साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है, और न ही तहसील न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य ली गई है, और पटवारी प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र अवधि बाह्य था, ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं था, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अपनी स्वयं की साक्ष्य एवं स्वतंत्र साक्षी से यह सिद्ध नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब से एवं किस प्रकार से अवैध कब्जा है, जबकि अतिकमण के प्रकरण में यह सिद्ध करना आवश्यक है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष साक्ष्य के विपरीत हों तो समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सकता है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को उभय पक्ष को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुए प्रकरण का निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन किया गया है, और सीमांकन में आवेदकगण का अवैध कब्जा होना पाया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को बेदखली का आदेश देने में उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में संहिता की धारा 250 के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में समय–सीमा के बिन्दु पर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक पक्ष द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष बेदखली का, जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह सीमांकन और कब्जा प्राप्त होने के बाद नियत अवधि में है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश देने में उचित कार्यवाही की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर